

FROM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला वित्तीडगढ

बनाम

किरम मुकदमा- पत्थरगढी

नं. 10

सन 2023

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज | नियम 26 के तहत हुकम की प्रतिलिपि को प्रस्तुत करने का हुकम |
|------------|---|---|
| 14.2.23 | <p>प्रार्थी की ओर से वकील श्री <u>पंडित कुमार शर्मा</u> ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलओआरओएक्ट के तहत नया नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया जो बाद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>सक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलओआरओएक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मीजा <u>डूंगला</u> पटवार मण्डल <u>डूंगला</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर <u>337</u> रकबा <u>1.9000</u> हैक्टर/बीघा <u>2 मवा</u> के खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नहीं है। तथा विपक्षीय आराजी के पड़ोसी है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात को पत्थरगढी कराई जावे।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अनिलेख का अवलोकन किया गया, बहस सुनी गई। प्रार्थी जैर बहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती करान का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को <u>1000</u> - अक्षर <u>25</u> हजार रुपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आवेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बर्दावस्ती नक्शा के अनुसार बिना किसी के कब्जे काशत में दखल दिये मीजा <u>डूंगला</u> पटवार मण्डल <u>डूंगला</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर <u>337</u></p> <p>रकबा <u>1.9000</u> है0/बीघा भूमि को पत्थरगढी मुकममल तौर पर की जावे।</p> <p>पत्थरगढी पालना प्रतिवेदन दिनांक <u>28/1/23</u> तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सलग्न पत्रावली हो।</p> <p>पत्रावली फैसल सुनार होकर नम्बर से कम हो।</p> | |

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

